झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–09 / दै.वे.भो. / कोर्ट केस (नोटिस)–02–10 / 2017 ज.स. 1136 रांची, दिनांक 26-04-18

सेवा में,

मुख्य अभियंता
लघु सिंचाई राँची / दुमका

विषयः– **लघु सिंचाई प्रक्षेत्र अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के न्यूनतम वेतन के संबंध में।**

प्रसंगः– माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा SLP(C) No. 18154/1999 with SLP(C) No. 16781-16783/2000, SLP(C) No. 16784-16820/2000 The State of Bihar and ors v/s Laghu Sichai Karmchari Sangh में न्याय निर्णय दिनांक 30.10.2000 एवं SLP(C) No. 16781-16783/2000 with SLP(C) No. 16784-16820/2000 में न्याय निर्णय 08.04.2002 तथा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची द्वारा WP(S) No. 1035/2002 लघु सिंचाई कर्मचारी संघ, गोड्डा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.03.2002 तथा अंतिम न्याय निर्णय दिनांक 18.02.2003।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा SLP(C) No. 18154/1999 with SLP(C) No. 16781-16783/2000, SLP(C) No. 16784-16820/2000 The State of Bihar and ors v/s Laghu Sichai Karmchari Sangh में न्याय निर्णय दिनांक 30.10.2000 एवं SLP(C) No. 16781-16783/2000 with SLP(C) No. 16784-16820/2000 में दिनांक 08.04.2002 में क्रमशः निम्न न्याय निर्णय परित किया गयाः–

SLP(C) No. 18154/1999

Order dated 30.10.2000

> *"...The direction given by the learned Single Judge that pending regularisation of these daily-wage workers, they should get the minimum of the pay scale, is set aside..."*

SLP(C) No. 16781-16783/2000, SLP(C) No. 16784-16820/2000

Order dated 30.10.2000

> *"Petitioner to comply with office Report dated 20.08.2000. There will be interim stay of operation of the impugned orders of the High Court, until further orders."*

Order dated 08.04.2002

> *"Heard the Learned counsel for the parties.*
> *Applications for substitutions are allowed.*
> *In our view, the order dated 30th October, 2000 passed by this Court in SLP(C) No.- 18154/99 is a general order and is applicable to all similarly situated daily wage workers. In this view of the matter the order passed by the High Court would not survive and these petitions stand disposed of accordingly."*

पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1317 दिनांक 13.09.2001 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान समाप्त करते हुए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी अनुमान्य किए जाने का विभागीय निर्णय संसूचित किया गया।

2. उपरोक्त विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 13.09.2001 के निर्णय की चुनौति लघु सिंचाई कर्मचारी संघ, गोड्डा एवं अन्य के द्वारा WP(S) No. 1035/2002 के माध्यम से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के समक्ष दी गई, जिसमें सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक 1317 दिनांक 13.09.2001 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2002 को निम्न Interim order पारित किया गयाः–

> *"...In the mean time with the consent of both the parties the operation of the impugned order as contained in annexure-01 shall remain stayed. Learned counsel for the petitioners undertakes that this stay will follow the final decision of this case."*

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त आदेश में Annexure-01 विभागीय आदेश पत्रांक 1317 दिनांक 13.09. 2001 है।

3. पारित अंतरिम न्याय निर्णय दिनांक 05.03.2002 के अनुपालन में विधि विभाग, झारखण्ड, रांची ने परामर्श दिया कि WP(S) No. 1035/2002 लघु सिंचाई कर्मचारी संघ, गोड्डा बनाम झारखण्ड सरकार – के कार्यरत वादीगणों को नियमितिकरण की कारवाई पूर्ण होने तक पूर्व से भुगतान किया जा रहा न्यूनतम वेतन ही देय होगा। प्राप्त परामर्श के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड द्वारा विभागीय पत्रांक 1823 दिनांक 11.04.2002 निर्गत कर यह व्यवस्था संसूचित की गई कि उक्त वादीगणों पर विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 13.09.2001 लागू नहीं होगा।

4. वाद सं० WP(S) No. 1035/2002 में अगली सुनवाई दिनांक 18.12.2003 के द्वारा निम्न अन्तिम न्याय निर्णय पारित किया गया हैः–

> *"Mr. Kalyan Rai Learned counsel for the petitioners states that in view of the letter dated 11.04.2002 issued by the Secretary, Water Resources Department, Govt. of Jharkhand this writ petition has became in-fructuous.*
> *Accordingly this writ petition is dismissed as in-fructuous."*

5. महत्वपूर्ण रुप से उल्लेख करना है कि उपरोक्त घटना क्रम के काल–खण्ड में झारखण्ड राज्य लघु सिंचाई कर्मचारी संध द्वारा समान रुप से सदृश्य सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को संबंधित संवर्ग के वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान की मांग पर दिनांक 05.06.2007 को माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग के बीच संपन्न वार्ता के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की भांति लघु सिंचाई के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को भी संबंधित संवर्ग के वेतनमान का न्यूनतम वेतन एकमुश्त देने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि इस पर किसी प्रकार का भता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगा। यह आदेश जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के ज्ञापांक 1425 दिनांक 14.06.2007 द्वारा संसूचित की गयी।

पुनः उक्त विषय एवं प्रसंग के क्रम में विभागीय पत्रांक 1823 दिनांक 11.04.2002 एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के द्वारा WP(S) No. 5387/2002 में अमरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 12.12.2002 के आलोक में लघु सिंचाई के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितिकरण की तिथि तक न्यूनतम वेतनमान एवं उसपर अनुमान्य भता देने का निर्णय इस शर्त के साथ संसूचित की गयी है कि इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी। यह आदेश विभागीय पत्रांक 2409 दिनांक 10.09.2007 द्वारा निर्गत की गयी।

6. उपरोक्त आदेश के आलोक में तदनुरुप दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को दिनांक 10.09.2007 के प्रभाव से पारिश्रमिक भुगतान मिला।

7. वित्तीय वर्ष 2008–09 में दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को विभागीय पत्रांक 2409 दिनांक 10.09.2007 द्वारा दिए जा रहे न्यूनतम वेतनमान को पुनर्विचार कर विभागीय पत्रांक 174 दिनांक 21.01.2009 द्वारा इस शर्त के साथ आवंटन निर्गत की गयी कि इन कर्मियों को दिनांक 10.09.2007 के पूर्व दी जा रही दैनिक मजदूरी की दर से भुगतान किया जाएगा।

8. उपरोक्त आदेश पत्रांक 174 दिनांक 21.01.2009 की चुनौती WP(S) No. 700/2009 नंद किशोर राय बनाम झारखण्ड एवं अन्य के द्वारा दी गयी। इस वाद में याचिका को बहाल रखते हुए दिनांक 04.08. 2011 को न्याय निर्णय निम्नांकित रुप से पारित किया गयाः–

> *"...6. As a cumulative effect of the aforesaid facts, reasons and judicial pronouncements, the respondents are hereby, directed to make the payment of the wages equal to the salary at the lowest grade of the employees of this cadre in the Water Resources Department, State of Jharkhand, within a period of twelve weeks from the date of receipt of a copy of an order of this Court.*
> *7. This writ petition is allowed and disposed of."*

9. विभाग द्वारा दिनांक 04.08.2011 को पारित न्याय निर्णय की चुनौती माननीय खंडपीठ उच्च न्यायालय झारखण्ड के समक्ष LPA No. 130/2012 के द्वारा दी गई जिसमें 05.07.2012 को पारित न्याय निर्णय द्वारा अपील खारिज कर दिया गया। पुनः इसकी चुनौति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP (C) No. 9080/2013 के द्वारा दी गयी, जिसमें पारित न्याय निर्णय दिनांक 08.05.2013 के द्वारा अपील खारिज हो गया।

10. इस प्रकार WP(S) No. 700/2009 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 04.08.2011 "finality attained" कर लिया।
उक्त स्थिति में न्याय निर्णय दिनांक 04.08.2011 में वर्णित Observations के आलोक में विभागीय पत्रांक 2409 दिनांक 10.09.2007 द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन किया जाना अपेक्षित पाया गया।

11. उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.08.2011 को पारित न्याय निर्णय का मुख्य आधार माननीय न्यायालय के समक्ष वादीगण के द्वारा रखे गये निम्न अनुरोध को भी दृष्टि में रखकर की गयी हैः–

> *"...3. Counsel for the petitioner further submitted that in the present writ petition, it is prayed that till the regularization of the petitioner in the services of the respondent-State, the petitioner ought to be paid minimum pay scale, without paying any other allowances, as directed in paragraph-55 of a decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in the Case of Secretary, State of Karnataka and Others Vs. Umadevi (3) and others as reported in (2006) 4 SCC 1. The petitioner is not claiming regularization in this writ petition, for which, another contempt application is already pending before this Court..."*

12. कंडिका–1 में उल्लेख्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2000 के अनुपालन में सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 5940 दिनांक 18.06.1993 के प्रावधान के अनुसार प्रथम चरण वर्ष 2003, द्वितीय चरण वर्ष 2009 तथा तृतीय एवं अंतिम चरण मार्च 2011 में नियुक्ति कर नियमित स्थापना के स्वीकृत पदों पर पदस्थापित करते हुए नियमितिकरण के मांग के मामले का निष्पादन किया गया है। इस नियुक्ति के फलस्वरुप सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मी अपने स्वीकृत संवर्गीय पदो के अनुरुप वेतन प्राप्त किए।

13. उपरोक्त न्यूनतम वेतन के अलावे कई दैनिक वेतन भोगी कर्मियों द्वारा अनेकों याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आशय के साथ दायर की गई कि इन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मी के रुप में कार्यरत अवधि का वेतनमान दिया जाय। इन वादों में कई न्याय निर्णय वादीगण के पक्ष में पारित

हुआ। समीक्षा में यह पाया गया कि WP(S) No. 700/2009 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 04.08.2011 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा affirmed न्याय निर्णय है, जो अपने स्वरुप में "Finality attained" किया है। अनुपालन की दृष्टि से माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 04.08.2011 में दिनांक 10.09.2007 को न्यूनतम वेतनमान की अनुमान्यता को Cut off Date के रुप में पाया गया।

इस प्रकार दिनांक 10.09.2007 से नियमितिकरण की तिथि तक सभी सदृश्य दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को इस अवधि का न्यूनतम वेतन छठे वेतन आयोग द्वारा परिभाषित वेतन के प्रावधान अंतर्गत [Pay + Grade Pay] के रुप में अनुमान्य पाया गया, जो कंडिका–11 में उल्लेखित *paragraph-55 of a decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in the Case of Secretary, State of Karnataka and Others Vs. Umadevi (3) and others as reported in (2006) 4 SCC 1* के अनुसार है। तत्संबंधित संलेख प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर स्वीकृति आदेश ज्ञापांक–1156 दिनांक 30.03.2015 एवं तत्संबंधित आवंटन आदेश पत्रांक 310 दिनांक 31.03.2015 तथा पत्रांक 311 दिनांक 31.03.2015 द्वारा निर्गत कर सभी कर्मियों के दैनिक वेतन भोगी अवधि के बकाये दावा का भुगतान कर दिया गया है। वितीय वर्ष 2014–15 की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2015 को आवंटन निर्गत होने के फलस्वरुप कतिपय बच गये कर्मियों का भी भुगतान वर्ष 2015–16 में कर दिया गया है।

14. वर्णित विस्तृत परिपेक्ष्य एवं माननीय **सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय 30.10.2000 एवं 08.04.2002 में अंकित व्यवस्था तथा WP(S) No. 1035/2002 में पारित अंतरिम न्याय निर्णय दिनांक 05.03.2002 तथा अन्तिम न्याय निर्णय दिनांक 18.012.2003 को दृष्टि में रखने पर पाया गया कि WP(S) No. 1035/2002 में पारित न्याय निर्णय 05.03.2002 के अनुपालन में निर्गत विभागीय पत्रांक 1823 दिनांक 11.04.2002 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय दिनांक 08.04.2002 के समक्ष अवमानना स्वरुप है**। इस परिस्थिति में तत्कालीन अवधि में WP(S) No. 1035/2002 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 05.03.2002 एवं 18.12.2003 के विरुद्ध अपील दायर करने के प्रस्ताव पर विधि न्याय विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता झारखण्ड उच्च न्यायालय का मंतव्य प्राप्त किया गया। परामर्श निम्नवत हैः–

> *"This file has been referred for filing LPA against the order dated 18.12.2003 passed in W.P.(S) No. 1035/2002 which is at Page 30/C. It is to be noted that an appeal before the Division Bench of the Hon'ble High Court is to be filed within 30 days of the orders and in this case more than 6 years has already lapsed. The facts of the matter is very peculiar. It appears that Minor Irrigation Workers Association Godda filed W.P.(S) No. 1035/2002 challenging the order dated 13.09.01 which was issued in the light of the order passed by Hon'ble Supreme Court of India in S.L.P. No. 18154/99 dated 30.10.2000 in which payment of the minimum wages to the Daily Wagers were stopped and direction was issued to pay the daily wages. Interim order on 5.8.2002 was passed in the Hon'ble Jharkhand High Court by which operation of the impugned order was stayed. Hon'ble Supreme Court of India in SLP No. 18154/99 in its order dated 30.10.2000 passed order to consider the regularization of the daily wages employees in light of and in terms of the Circular of the Govt of Bihar dated 18.6.93 and the order of the Hon'ble High Court to pay them minimum wages pending their regularization was set aside by the Supreme Court.*
>
> *This order was further clarified in SLP No. 16781-16783/2000 dated 8.4.2002 Supreme Court observed that direction given in SLP No. 18154/99 is a general order and applicable to all similarly situated daily wagers. In compliance of the Interim order of the Hon'ble High Court, order dt. 11.4.2002 was issued by the Secretary,*

Water Resources Department, which is at page 6/C which was issued in compliance of the interim order that the daily wagers would continue to get their minimum wages. Based on this order the petitioner did not press the writ application and submitted that writ application became infructuous and accordingly writ application was dismissed as infructuous.

Order has been passed 6 years ago and has not been decided on merit and therefore LPA cannot be filed on two grounds.

1. *Hopelessly time barred.*
2. *W.P.(S) No. 1035/2002 has not been decided on merit.*

In my view the letter dated 11.4.2002 did not render the writ application WP(S) No. 1035/2002 as infructuous but rather the same was passed in compliance of the interim order of the Hon'ble Jharkhand High Court and therefore, the submission of the petitioner in W.P.(S) No. 1035/2002 is not correct and based on that without deciding the merit, the writ application has been dismissed as infructuous. The interim order merged with the final order and therefore in my view, the order of the Supreme Court would become applicable and is binding on the Govt. of Jharkhand and the minimum wages cannot be paid to the daily wages employees. A decision in this regard may be taken by indicating the order of the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 18154/99 and SLP No. 16781-16783/2000 without preferring any LPA."

15. उपरोक्त स्थिति में पूर्ण स्थिति पर पुनः विवेचना एवं समीक्षा करते हुए पाया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 1823 दिनांक 11.04.2002 को रद्द किया जाना आवश्यक है।
16. वर्णित परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2000 एवं दिनांक 08.04.2002 के अनुपालन में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक 1823 दिनांक 11.04.2002 को रद्द किया जाता है। एतद् इस आदेश से सम्बद्ध सभी उत्तरवर्त्ती आदेश रद्द माना जाय। साथ ही इन आदेशों के कारण पूर्व में प्राप्त अधिकाई राशि को लौटाने की कारवाई की जाय।
17. इस आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(रमेश कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव

1136 26-04-18

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई/ झारखण्ड राज्य लघु सिंचाई कर्मचारी संध, गोड्डा/झारखण्ड राज्य लघु सिंचाई कर्मचारी संघ, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव

1136 26-04-18

प्रतिलिपिः– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव